भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3999

बुधवार, 17 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

कृषि भूमि पर उद्योगों की स्थापना

3999. श्री प्रवीन कुमार निषादः

श्री अजय निषादः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ऐसी कृषि भूमि, जिनका अधिग्रहण किया गया है लेकिन लंबे समय से रिक्त पड़ी है, पर उद्योगों की स्थापना के लिए समय-सीमा निर्धारित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का निर्धारित समय-सीमा में औद्योगिक उद्देश्यों हेतु भूमि का उपयोग नहीं करने के मामले में किसानों को उक्त भूमि हस्तांतरित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) औद्योगिक उद्देश्यों हेतु बंजर कृषि भूमि के आवंटन के संबंध में सरकार द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं ताकि क्षेत्रीय संतुलन बिगाड़े बिना देश का औद्योगिक विकास सुनिश्चित किया जा सके?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सोम प्रकाश)

(क) से (ङ): भूमि और इसके प्रबंधन का कार्य राज्यों के विधायी और प्रशासनिक कार्य अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आता है (जैसा कि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि सं. 18 में दिया गया है)। कृषि भूमि पर उद्योगों की स्थापना संबंधित राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा की जाती है। इस बारे में केंद्रीय स्तर पर जानकारी नहीं रखी जाती।

केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियमित किया है जो दिनांक 01.01.2014 से प्रभावी है, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, औद्योगिक कॉरीडोर की परियोजनाएं भी शामिल हैं। इस अधिनियम की धारा 10 में यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्यक्ष उपाय के रूप में, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर अनेक फसल देने वाली सिंचित भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा।

****